सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001

PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM (CONTROL) ORDER, 2001

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, नवम्बर, 2001

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution

Department of Food and Public Distribution

New Delhi, November, 2001

(च) **"प्राधिकृत निर्देशिती"** से राज्य सरकार का संबंधित विभाग या उसके स्वामित्वाधीन कोई निगम या कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी अभिप्रेत है;

(छ) **"गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्ब"** से वे कुटुम्ब अभिप्रेत हैं जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए गरीबी के प्राक्कलनों को अंगीकार करते हुए विशेष रूप से सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहचान की गई है;

(ज) **"पात्र आवेदक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी राज्य का निवासी है और राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए उन शर्तों को पूरा करता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं;

(झ) **"आवश्यक वस्तुओं"** से वे आवश्यक वस्तुएं अभिप्रेत हैं जो अधिनियम में परिभाषित हैं;

(ञ) **"उचित कीमत की दुकान"** से ऐसी दुकान अभिप्रेत है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्ड धारकों को अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी किसी आदेश द्वारा आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिए अनुज्ञप्त किया गया है;

(ट) **"उचित कीमत की दुकान का स्वामी"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत कोई सहकारी सोसायटी या किसी राज्य सरकार का कोई निगम या कंपनी या ग्राम पंचायत अथवा ऐसा कोई अन्य निकाय भी है जिसके नाम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तु वितरित करने के लिए कोई दुकान अनुज्ञप्त की गई है;

(ठ) **"सार्वजनिक वितरण प्रणाली"** से उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं के, जैसे कि चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल और ऐसी अन्य वस्तुओं के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित की जाती है, वितरण की प्रणाली अभिप्रेत है ;

(ड) **"राशन कार्ड"** से उचित कीमत की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकारी के अधीन जारी किया गया है कोई दस्तावेज अभिप्रेत है;

(ढ) **"राज्य"** के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी है;

(ण) **"राज्य सरकार"** के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी है।

(f) **"authorised nominee"** means the concerned Department of State Government or a corporation or a company owned by it or a co-operative;

(g) **"Below Poverty Line families"** means those families who have been identified by the State Government for issue of foodgrains at specially subsidized rates adopting the estimates of poverty given by the Central Government;

(h) **"eligible applicant"** means an individual who is resident of a State and fulfills the conditions for getting a ration card as may be prescribed by the State Government;

(i) **"essential commodities"** means essential commodities as defined under the Act;

(j) **"fair price shop"** means a shop, which has been licensed to distribute essential commodities by an order issued under section 3 of the Act, to the ration card holders under the Public Distribution System;

(k) **"fair price shop owner"** means a person and includes a cooperative society or a corporation or a company of a State Government or a Gram Panchayat or any other body in whose name a shop has been licensed to distribute essential commodities under the Public Distribution System;

(l) **"Public Distribution System"** means the system for distribution of essential commodities to the ration card holders through the fair price shops, such as rice, wheat, sugar, edible oils, kerosene and such other commodities as are notified by the Central Government under clause (a) of section 2 of the Act;

(m) **"ration card"** means a document issued under an order or authority of the State Government for the purchase of essential commodities under the Public Distribution System from the fair price shop;

(n) **"State"** includes a Union territory;

(o) **"State Government"** includes Administration of a Union territory;

स्पष्टीकरण :

इस खंड के प्रयोजन के लिए :

(i) **"अपयोजन"** से ऐसी वस्तुओं का अप्राधिकृत संचलन या परिदान अभिप्रेत है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय गोदामों से निकाल तो ली जाती है किंतु आशयित हिताधिकारियों तक नहीं पहुंच रहीं हैं।

(ii) **"प्रतिस्थापन"** से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन केन्द्रीय गोदामों से निकाली गई आवश्यक वस्तुओं के स्थान पर आशयित हिताधिकारियों को वितरण के लिए निम्नतर क्वालिटी की वैसी ही वस्तुओं का रखा जाना अभिप्रेत है।

7. अनुज्ञापन :

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए उचित कीमत की दुकानों को अनुज्ञप्ति या प्राधिकार जारी करने के लिए प्रक्रिया और उचित कीमत की दुकान के स्वामियों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व इस आदेश के साथ उपाबंध के पैरा 5 के अनुसार होंगे।

(2) राशन कार्ड धारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित कीमत की दुकान के स्वामी द्वारा स्टॉक में पड़ी आवश्यक वस्तुओं का, उसकी हकदारी के अनुसार प्रदाय करने से इंकार नहीं किया जाएगा।

(3) उचित कीमत की दुकान का स्वामी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करने के पश्चात् राशन कार्डों को प्रतिधारित नहीं करेगा।

(4) उचित कीमत की दुकान का स्वामी हिताधिकारी को दुकान के स्वामी द्वारा रखे गए अभिलेखों के सुसंगत उध्कीमतण विहित फीस के संदाय पर प्रदान करेगा।

8. मानीटरिंग :

राज्य सरकारों द्वारा उचित कीमत की दुकानों के कार्यकरण सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरी के लिए प्रक्रिया इस आदेश के साथ उपाबंध के पैरा 6 के अनुसार होगी।

9. शास्ति :

यदि कोई व्यक्ति खंड 3, 4, 6 और 7 के अधीन इस आदेश के किसी उपाबंध का उल्लंघन करेगा तो वह अधिनियम की धारा 7 के अधीन दंड का भागी होगा।

Explanation

For the purpose of this clause :

(i) **"diversion"** means unauthorized movement or delivery of essential commodities released from central godowns but not reaching the intended beneficiaries under the Public Distribution System.

(ii) **"substitution" means** replacement of essential commodities released from central godowns with the same articles of inferior quality for distribution to the intended beneficiaries under the Public Distribution System.

7. **Licensing :**

(1) The procedure for issue of licenses or authorization to the fair price shops for the distribution of essential commodities under Public Distribution System and duties and responsibilities of the fair price shop owners shall be as per paragraph 5 of the Annexe to this Order.

(2) The ration card holder shall not be denied the supply as per entitlement of the essential commodities, lying in stock, by the fair price shop owner under the Public Distribution System;

(3) The fair price shop owner shall not retain ration cards after the supply of the essential commodities.

(4) A fair price shop owner shall provide the relevant extracts of the records maintained by him to the beneficiary on payment of the prescribed fee.

8. **Monitoring:**

The procedure for monitoring of the Public Distribution System including the functioning of the fair price shops by the State Governments shall be as per paragraph 6 of the Annexe to this Order.

9. **Penalty :**

If any person contravenes any provisions of this Order under clauses 3,4,6 and 7, he shall be liable to punishment under Section 7 of the Act.

10. तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति :

(1) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी ऐसे अभिलेखों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने या उन्हें समन करने के लिए जो उसके द्वारा जांच किए जाने के लिए आवश्यक समझे जाएं तथा उसके समक्ष पेश किए गए किन्हीं अभिलेखों या दस्तावेजों से उध्कीमतण या उनकी प्रतियां लेने के लिए सक्षम होगा।

(2) यदि उक्त प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों का कोई उल्लंघन हुआ है या इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से वह उचित कीमत की दुकान में या उचित कीमत की दुकान के कारोबार के संव्यवहारों से सुसंगत किन्हीं परिसरों में प्रवेश कर सकेगा, उनका निरीक्षण कर सकेगा अथवा उनकी तलाशी ले सकेगा।

(3) उक्त प्राधिकारी ऐसी लेख बहियों या आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की तलाशी ले सकेगा, उनका अभिग्रहण कर सकेगा या उनको हटा सकेगा जहां ऐसे प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उन वस्तुओं का इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में उपयोग किया गया है या उपयोग किया जाएगा।

(4) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

11. अपील :

(1) सभी अपीलें इस आदेश के साथ उपाबंध के पैरा 7 के अधीन नियुक्त अपील प्राधिकारी के समक्ष होंगी।

(2) अभिहित प्राधिकारी के, राशन कार्ड जारी करने या उनका नवीकरण करने से इंकार करने अथवा राशन कार्ड के रद्दकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकारी को उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

(3) अभिहित प्राधिकारी के, उचित कीमत की दुकान के स्वामी को अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने से इंकार करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपील प्राधिकारी को उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा।

10. **Power of search and seizure :**

(1) An authority authorised by State Government, shall be competent to inspect or summon such records or documents as may be considered by him necessary for examination and take extracts or copies of any records or documents produced before him.

(2) If the said authority has reason to believe that there has been any contravention of the provisions of this Order or with a view to securing compliance with this Order, he may enter, inspect or search the fair price shop or any premises relevant to transactions of business of the fair price shop.

(3) The said authority may also search, seize or remove such books of accounts or stocks of essential commodities where such authority has reason to believe that these have been used or will be used in contravention of the provisions of this Order.

(4) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure 1973, relating to search and seizure shall so far as may be, apply to search and seizure under this Order.

11. **Appeal:**

(1) All appeals shall lie before the Appellate Authority appointed under paragraph 7 of the Annexe to this Order.

(2) Any person aggrieved by an order of the designated authority denying the issue or renewal of a ration card or cancellation of the ration card may appeal to the Appellate Authority within thirty days of the date of receipt of the order.

(3) Any person aggrieved by an order of the designated authority denying the issue or renewal of the licence to the fair price shop owner, or cancellation of the licence may appeal to the Appellate Authority within thirty days of the date of receipt of the order.

(4) ऐसी किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान, अपील प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि अपीलाधीन आदेश उस अपील के निपटारे तक प्रभावी नहीं होगा।

12. इस आदेश के अधीन किए गए कार्य का संरक्षण :

इस आदेश के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी।

13. निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :

केन्द्रीय सरकार इस आदेश के सभी उपबंधों या इनमें से किसी के निष्पादन के लिए राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का पालन करेगी।

14. इस आदेश के उपबंधों का राज्य सरकारों के पूर्ववर्त्ती आदेशों पर अभिभावी होना :

इस आदेश के प्रारंभ से पूर्व किसी राज्य सरकार या ऐसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस आदेश के उपबंध, उन बातों के सिवाय प्रभावी होंगे जो ऐसे प्रारंभ के पूर्व उसके अधीन की गई हैं या किए जाने से जिनका लोप किया गया है।

(एस0सी0 ब्रह्मा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(4) No such appeal shall be disposed of unless the aggrieved person has been given a reasonable opportunity of being heard.

(5) Pending the disposal of an appeal, the Appellate Authority may direct that the order under appeal shall not take effect until the appeal is disposed of.

12. Protection of action taken under Order:

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Order.

13. Power of Central Government to give directions:

The Central Government may give such directions as it may deem necessary to State Government for execution of all or any of the provisions of this Order and the State Government shall comply with such directions.

14. Provisions of the Order to prevail over previous Orders of State Governments :

The provisions of this Order shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any Order made by a State Government or by an officer of such State Government before the commencement of this Order except as respects anything done, or omitted to be done thereunder before such commencement :

(S.C. BRAHMA)
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2001 का उपाबंध

(खंड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 12 देखिए)

1. **गरीबी रेखा से नीचे रह रहे कुटुम्बों की पहचान :**

(1) राज्य सरकारें, केन्द्रीय सरकार द्वारा अंगीकृत किए गए प्राक्कलन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे कुटुम्बों की जिसके अंतर्गत अंत्योदय कुटुम्ब भी हैं पहचान करने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धांत बनाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाएगा कि इस प्रकार पहचान किए गए कुटुम्ब वास्तव में सबसे गरीब हैं। गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय कुटुम्बों की पहचान की प्रक्रिया जहां यह पहले से पूरी नहीं की गई है, इस आदेश के जारी होने के तीन मास के भीतर पूरी की जाएगी।

(2) राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष अपात्र कुटुम्बों का लोप करने और पात्र कुटुम्बों को सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय कुटुम्बों की सूचियों का पुनर्विलोकन करवाएंगी।

(3) गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय कुटुम्बों की पहचान अथवा समीक्षा करने की प्रक्रिया हाथ में लेते समय, प्रत्येक राज्य सरकार उपयुक्त प्रोफार्मा विहित करेगी, जो कुटुम्ब के मुखिया द्वारा अथवा उसकी ओर से भरा जाएगा।

(4) विहित प्रोफार्मा में दिए गए आंकड़ों का सत्यापन इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। उक्त प्राधिकारी प्रोफार्मा में अंतर्विष्ट जानकारी के सही होने के बारे में भी प्रमाणित करेगा।

(5) ग्राम सभाएं अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र की बाबत अभिहित प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय प्रवर्गों के हिताधिकारियों की सूची को अंतिम रूप देंगी।

(6) जहां ग्राम सभाएं नहीं हैं, वहां स्थानीय प्रतिनिधि निकाय अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय प्रवर्गों के हिताधिकारियों की सूची को अंतिम रूप देंगे।

(7) राज्य सरकार का अभिहित प्राधिकारी या स्थानीय प्रतिनिधि निकाय जिसके अंतर्गत ग्राम सभा और ग्राम पंचायत भी हैं, जिन्हें हिताधिकारियों की पहचान का कार्य सौपा गया है, वे गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय कुटुम्बों के संबंध में विहित प्रोफार्मा में जानकारी को सत्यापित और प्रमाणित करेंगे।

Annexe to the Public Distribution System Control Order, 2001

[See clauses 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 & 12]

1. Identification of families living below the poverty line :

(1) State Governments shall formulate suitable guidelines for the purpose of identification of families living Below the Poverty Line (BPL), including the Antyodaya families, as per the estimates adopted by the Central Government. Care will be taken to ensure that the families so identified are really the poorest. The exercise of identification of BPL and Antyodaya families, wherever it has not been done already, shall be completed within three months of the issue of this Order.

(2) State Governments shall get the lists of BPL and Antyodaya families reviewed every year for the purpose of deletion of ineligible families and inclusion of eligible families.

(3) While undertaking the exercise of identification or review of BPL and Antyodaya families, each State Government shall prescribe a suitable proforma to be filled up by or on behalf of the head of a family.

(4) The data provided in the prescribed proforma shall be verified by the authority designated by the State Government for the purpose. The said authority shall also certify the correctness of the information contained in the proforma.

(5) Gram Sabhas shall finalise the list of beneficiaries belonging to BPL and Antyodaya categories drawn up by the designated authority in respect of the area under their respective jurisdiction.

(6) Where there are no Gram Sabhas, the local representative bodies shall finalise the list of beneficiaries belonging to BPL and Antyodaya categories within their respective jurisdiction.

(7) The designated authority of the State Government or the local representative bodies including Gram Sabhas and Gram Panchayats which have been entrusted with the task of identification of beneficiaries, shall verify and certify the information in the prescribed proforma for BPL and Antyodaya families.

2. **राशन कार्ड :**

(1) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी पात्र आवेदक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राशन कार्ड देने से इंकार नहीं किया गया है।

(2) राशन कार्ड धारक उचित कीमत की दुकान से साप्ताहिक आधार पर आवश्यक वस्तुएं लेने का हकदार होगा।

(3) राज्य सरकार गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय कुटुम्बों को सुभिन्न राशन कार्ड जारी करेगी।

(4) अभिहित प्राधिकारी आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर आवश्यक जांच और सत्यापन करने के पश्चात् राशन कार्ड जारी करेगा।

(5) राज्य सरकारें राशन कार्ड में नाम जोड़े जाने अथवा परिवर्तन करने के लिए समय सीमा विनिर्दिष्ट करेंगी। इस समय सीमा का अनुपालन न किए जाने की दशा में, आवेदक को उसके लिए कारण लिखित में सूचित किए जाएंगे।

(6) राज्य सरकार, अपात्र और जाली राशन कार्डों तथा राशन कार्डों में जाली यूनिटों की छटनी करने के लिए राशन कार्डों की आवधिक जांच कराएगी।

(7) राशन कार्ड एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य होगा। पूर्ववृत्तों का नए सिरे से सत्यापन करने और ऐसी अन्य जांच करने के पश्चात् ही, जो राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में विहित की जाए, कोई नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा अथवा उसका नवीकरण किया जाएगा।

(8) आवश्यक वस्तुओं के अपयोजन को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जाली राशन कार्डों और राशन कार्डों में जाली यूनिटों को समाप्त करने के लिए एक अनवरत प्रक्रिया चलाई जाएगी।

(9) राशन कार्डों का पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा।

3. **निर्गम मापदंड और निर्गम मूल्य :**

(1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन हिताधिकारियों के विभिन्न प्रवर्गों को वितरण के लिए खाद्यान्न ऐसे मापमान और कीमतों पर जो समय-सयम पर विहित की जाएं, उपलब्ध कराएगी।

(2) राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए किए गए आबंटन का अपयोजन नहीं करेंगी।

2. **Ration Cards :**

(1) State Governments shall ensure that no eligible applicant is denied a ration card under the Public Distribution System.

(2) The ration card holder shall be entitled to draw essential commodities from a fair price shop on weekly basis.

(3) State Government shall issue distinctive ration cards to APL, BPL and Antyodaya families.

(4) The designated authority shall issue a ration card within one month of the date of receipt of the application after necessary checks and verification.

(5) State Governments shall specify a timeframe for making additions or alterations in the ration card. In case this time limit is not adhered to, the reasons therefor shall be intimated to the applicant in writing.

(6) State Government shall conduct periodical checking of ration cards to weed out ineligible and bogus ration cards and bogus units in ration cards.

(7) A ration card shall be valid for a specified period. A ration card shall be issued afresh or renewed after fresh verification of antecedents and such other checks as may be prescribed by the State Governments in this regard.

(8) Elimination of bogus ration cards as well as bogus units in the ration cards shall be a continuous exercise by the State Governments to check diversion of essential commodities.

(9) Ration cards shall not be used as documents of identity.

3. **Scale of issue and issue price :**

(1) The Central Government shall make available to the State Governments foodgrains for distribution under the Public Distribution System to various categories of beneficiaries at such scales and prices, as may be specified from time to time.

(2) The State Governments shall not divert the allocations made by the Central Government for distribution under the Public Distribution System.

4. वितरण :

(1) भारतीय खाद्य निगम या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित कोई अन्य अभिकरण राज्य सरकारों को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए उचित औसत क्वालिटी के खाद्यान्नों का परिदान केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार राज्य सरकार से संदाय प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर वास्तविक परिदान करेंगे और निकासी आदेश जारी करेंगे।

(2) राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से खाद्यान्नों का आबंटन प्राप्त करने के पश्चात् भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन आदेश की प्राप्ति से दस दिन के भीतर अपने अभिकरणों या नामनिर्देशितियों को भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न लेने के लिए प्राधिकृत करते हुए जिलावार आबंटन आदेश जारी करेंगी।

(3) राज्य सरकारों के अभिहित प्राधिकारी उचित कीमत की दुकान को किए गए आबंटन आदेश की एक प्रति का परिदान ग्राम पंचायतों या नगरपालिकाओं या सतर्कता समितियों या संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा उचित कीमत की दुकानों के कृत्यों को मानीटर करने के लिए नामनिर्देशित किसी अन्य निकाय को किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(4) ग्राम पंचायतों या नगरपालिकाओं या सतर्कता समितियों या राज्य सरकार द्वारा उचित कीमत की दुकान के कृत्यों को मानीटर करने के लिए नामनिर्देशित कोई अन्य निकाय उचित कीमत की दुकानों को मास के दौरान आबंटित आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक का संप्रदर्शन अपने कार्यालय के बाहर किसी सूचना पट पर करेंगे।

(5) राज्य सरकारों के अभिहित प्राधिकारी उचित कीमत की दुकानों को मासिक आबंटन करते समय उचित कीमत की दुकान के स्वामियों के पास पड़े हुए अवितरित अतिशेष स्टॉक को, यदि कोई हो, पश्चातवर्ती आबंटनों के लिए हिसाब में लेगा।

(6) राज्य सरकारें अपने अभिहित अभिकरणों या नामनिर्देशितियों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आवश्यक वस्तुओं के परिदान की भारतीय खाद्य निगम के डिपो और गोदामों से लेने की व्यवस्था करेंगी और उस मास के प्रथम सप्ताह के भीतर जिसके लिए आबंटन किया गया है उनका उचित कीमत की दुकानों पर परिदान सुनिश्चित करेंगी।

(7) भारतीय खाद्य निगम को संदाय करने से पूर्व राज्य सरकारों के प्रतिनिधि या उनके नामनिर्देशिती और भारतीय खाद्य निगम निर्गम के

4. **Distribution:**

(1) The Food Corporation of India (FCI) or any other agency designated for the purpose by the Central Government shall ensure physical delivery of foodgrains of fair average quality to State Governments for distribution under the Public Distribution System, as per the allocations made by the Central Government, within two weeks of the receipt of payment from the State Governments and issue of release orders.

(2) State Governments shall, on getting allocation of foodgrains from the Central Government, issue district-wise allocation orders authorising their agencies or nominees to draw foodgrains from the FCI within ten days of the receipt of allocation orders made by the Government of India.

(3) The designated authority of the State Governments shall ensure delivery of one copy of allocation order made to the fair price shop simultaneously to Gram Panchayats or Nagar Palikas or Vigilance Committees or any other body nominated for monitoring the functioning of the fair price shops by the concerned State Government.

(4) Gram Panchayats or Nagar Palikas or Vigilance Committees or any other body nominated for monitoring the functioning of the fair price shop by State Governments shall display the stocks of essential commodities allotted during the month to the fair price shops on a notice board outside their office.

(5) While making monthly allocations to the fair price shops the designated authority of State Governments shall take into account the balance stock, if any, lying un-distributed with the fair price shop owners for the subsequent allocations.

(6) State Governments shall make arrangements for taking delivery of essential commodities issued by the Central Government by their designated agencies or nominees from the FCI depots/godowns and ensure further delivery to the fair price shop within the first week of the month for which allocation is made.

(7) Before making the payment to the FCI the representatives of State Governments or their nominees and the FCI shall conduct joint

लिए आशयित खाद्यान्नों के स्टॉक का संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टॉक विहित क्वालिटी विनिर्देशों के अनुरूप है।

(8) भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों को उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण के लिए प्रदाय किए गए खाद्यान्नों के स्टॉक का एक चट्टे के अनुसार मापदंड सेम्पल जारी करेगा।

(9) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके द्वारा उठाई गई पूर्ण मात्रा उनके गोदामों में और तत्पश्चात् उचित कीमत की दुकानों में पहुंचती हैं, आवश्यक जांच करेंगी।

(10) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से निर्गमित आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक राशन कार्ड धारकों को परिदान किए जाने के किसी भी प्रक्रम पर भंडारण, अभिवहन या किसी अन्य प्रक्रम पर निम्नतर क्वालिटी स्टॉक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है।

5. **अनुज्ञप्ति प्रदान करना :**

राज्य सरकारें अधिनियम की धारा 3 के अधीन आवश्यक वस्तुओं के विक्रय और संवितरण को विनियमित करने के लिए एक आदेश जारी करेंगी। उक्त आदेश के अधीन उचित कीमत की दुकान के स्वामियों को अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगी और उचित कीमत की दुकान के स्वामियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अधिकथित किया जाएगा। उचित कीमत की दुकान के स्वामियों को उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

(i) राशन कार्ड धारकों की हकदारी के अनुसार संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त खुदरा निर्गम मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का विक्रय;

(ii) दुकान के प्रमुख स्थान पर दैनिक आधार पर निम्नलिखित के संबंध में सूचना पट पर जानकारी संप्रदर्शन (क) गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय हिताधिकारियों की सूची; (ख) आवश्यक वस्तुओं की हकदारी; (ग) निर्गम का मानदंड; (घ) खुदरा निर्गम मूल्य; (ङ.) उचित कीमत की दुकानों के खोलने और बंद करने के समय; (च) मास के दौरान प्राप्त आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक; (छ) आवश्यक वस्तुओं का आरंभिक और अंतिम स्टॉक

inspection of the stocks of foodgrains intended for issue to ensure that the stocks conform to the prescribed quality specifications.

(8) The FCI shall issue to the State Governments stack-wise sealed samples of the stocks of foodgrains supplied to them for distribution under the Public Distribution System at the time of despatch.

(9) State Governments shall exercise necessary checks to ensure that full quantity lifted by them reaches their godowns and in turn the fair price shops.

(10) State Governments shall ensure that stocks of essential commodities under the Public Distribution System, as issued from the FCI godowns, are not replaced by stocks of inferior quality during storage, transit or any other stage till delivery to the ration card holder.

5. Licensing :

State Governments shall issue an order under section 3 of the Act for regulating the sale and distribution of the essential commodities. The licenses to the fair price shop owner shall be issued under the said order and shall lay down the duties and responsibilities of the fair price shop owner. The responsibilities and duties of fair price shop owners shall include, inter alia :

(i) sale of essential commodities as per the entitlement of ration card holders at the retail issue prices fixed by the concerned State Government under the Public Distribution System;

(ii) display of information on a notice at a prominent place in the shop on daily basis regarding (a) list of BPL and Antyodaya beneficiaries, (b) entitlement of essential commodities, (c) scale of issue, (d) retail issue prices, (e) timings of opening and closing of the fair price shop, (f) stock of essential commodities received during the month, (g) opening and closing stock of

3422 FS PD/2001-1

और (ज) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं की क्वालिटी और मात्रा की बाबत दाखिल की गई शिकायतों और परिवादों के समाधान के लिए प्राधिकारी;

(iii) राशन कार्ड धारकों (गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय) के स्टॉक रजिस्टर, निर्गम या विक्रय रजिस्टर के अभिलेखों का रख-रखाव;

(iv) ग्राम पंचायत या नगरपालिका या सतर्कता समिति या राज्य सरकारें इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य निकाय के कार्यालय में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों अर्थात् राशन कार्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, विक्रय रजिस्टर का प्रस्तुत किया जाना;

(v) उचित कीमत की दुकान के माध्यम से प्रदान किए जा रहे खाद्य पदार्थों के सेम्पलों का संप्रदर्शन;

(vi) निरीक्षण करने वाले अभिकरण को आवश्यक वस्तुओं के आबंटन तथा संवितरण के संबंध में बहियों या अभिलेखों का पेश किया जाना और ऐसी जानकारी प्रस्तुत किया जाना जो अभिहित प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए;

(vii) संबद्ध राज्य सरकार के अभिहित प्राधिकारी को मास के अंत में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अतिशेष स्टॉक का हिसाब दिया जाना और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को दिया जाना;

(viii) सूचना पट पर संप्रदर्शित विहित समय के अनुसार उचित कीमत की दुकानों का खोला जाना और बंद किया जाना।

6. **मानीटर करना** :

(1) राज्य सरकारें उचित कीमत की दुकानों को मानीटर करने के संबंध में एक समुचित प्रणाली सुनिश्चित करेगी और आदर्श विक्रय रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और राशन कार्ड रजिस्टर विहित करेगी।

(2) राज्य सरकारें अभिहित प्राधिकारी द्वारा छह मास में एक से अन्यून बार उचित कीमत की दुकानों का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगी। राज्य सरकारें निरीक्षण अनुसूची, जांच बिन्दुओं की सूची और उक्त आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी कर सकेंगी।

essential commodities and (h) the authority for redressal of grievances/lodging complaints with respect to quality and quantity of essential commodities under the Public Distribution System;

(iii) maintenance of records of ration card holders (APL, BPL and Antyodaya), stock register, issue or sale register;

(iv) furnishing of copies of specified documents, namely, ration card register, stock register, sale register to the office of the Gram Panchayat or Nagar Palika or Vigilance Committee or any other body authorized by State Governments for the purpose;

(v) display of samples of foodgrains being supplied through the fair price shop;

(vi) production of books and records relating to the allotment and distribution of essential commodities to the inspecting agency and furnishing of such information as may be called for by the designated authority;

(vii) accountal of the actual distribution of essential commodities and the balance stock at the end of the month to the designated authority of the concerned State Government with a copy to the Gram Panchayat;

(viii) opening and closing of the fair price shop as per the prescribed timings displayed on the notice board.

6. **Monitoring:**

(1) State Governments shall ensure a proper system of monitoring of fair price shops and prescribe model sale register, stock register and ration card register.

(2) State Governments shall ensure regular inspections of fair price shops not less than once in six months by the designated authority. State Governments may issue orders specifying the inspection schedule, list of check points and the authority responsible for ensuring compliance with the said orders.

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सतर्कता समितियों की बैठकें राज्य, जिला, खंड और उचित कीमत की दुकानों के स्तर पर नियमित आधार पर आयोजित की जाएंगी। राज्य सरकारें द्वारा तारीख और आवर्तता अधिसूचित की जाएगी। तथापि, सभी स्तर पर तिमाही में आवर्तता एक बैठक से कम नहीं होगी।

(4) राज्य सरकारें रिपोर्ट करने की आवधिक प्रणाली सुनिश्चित करेंगी और इस संबंध में संपूर्ण जानकारी विहित प्ररूप में निम्नानुसार भेजी जाएंगी।

(i) उचित कीमत की दुकान द्वारा जिला प्राधिकारियों को उस मास के जिसके लिए प्ररूप 'क' में आबंटन किया गया है, अनुवर्ती मास की 7 तारीख तक;

(ii) जिला प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकारों को उस मास के जिसके लिए प्ररूप 'ख' में आबंटन किया गया है, अनुवर्ती मास की 15 तारीख तक;

(iii) राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को उस मास के जिसके लिए प्ररूप 'ग' में आबंटन किया गया है, अनुवर्ती मास के अंत तक।

(5) राज्यों को खाद्य पदार्थों का भविष्य में आबंटन, संबद्ध राज्यों से प्राप्त नियमित रिपोर्टों और उनके द्वारा उस मास से, जिसके लिए आबंटन किया गया है, दो मास की अवधि के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने से संपृक्त होगा।

(6) राज्य सरकारें उचित कीमत की दुकान स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरी जिला राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों पर अधिष्ठापित राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों के कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से सुनिश्चित करेंगी।

(7) राज्य सरकारें राशन कार्ड धारकों को इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का उपयोग करके उचित कीमत की दुकानों के सामने बोर्डों का संप्रदर्शन करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उनके अधिकारों और विशेषाधिकारी के बारे में जानकारी देंगी।

(8) राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदर्श नागरिक चार्टर के आधार पर नागरिक चार्टर जारी करेंगी और उसे अपनाएंगी।

(3) Meetings of the Vigilance Committees on the Public Distribution System at the State, District, Block and FPS level shall be held on a regular basis. The date and periodicity shall be notified by State Governments. However, the periodicity shall not be less than one meeting a quarter at all levels.

(4) State Governments shall ensure a periodic system of reporting and the complete information in this regard shall be sent in the prescribed form as follows :

(i) By fair price shops to the District Authorities by the 7th of the month following the month for which allocation is made in Form 'A'.

(ii) By the District Authorities to State Government by the 15th of the month following the month for which allocation is made in Form 'B'.

(iii) By the State Government to the Central Government by the end of the month following the month for which allocation is made in Form 'C'.

(5) Future allocation of foodgrains to States shall be linked to the receipt of regular reports from the respective States and furnishing of utilization certificates by them within a period of two months from the month for which allocation is made.

(6) State Governments shall ensure monitoring of the functioning of the Public Distribution System at the fair price shop level through the computer network of the NIC installed in the District NIC centers. For this purpose computerized codes shall be issued to each FPS in the district.

(7) State Governments shall educate the ration card holders regarding their rights and privileges under the Public Distribution System by use of electronic and print media as well as display boards outside fair price shops.

(8) State Governments shall issue and adopt the Citizens' Charter based on the model Citizens' Charter issued by the Central Government.

(9) अभिहित प्राधिकारी संबद्ध उचित कीमत की दुकान के स्वामी को निदेश देगा कि हिताधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने पर और विहित फीस का संदाय किए जाने पर उसके द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेजों के सुसंगत उद्धरण उपलब्ध कराए।

7. **अपील प्राधिकारी :**

इस आदेश के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारें अपील प्राधिकारी नियुक्त करेंगी।

(9) The designated authority shall direct the concerned fair price shop owner to provide relevant extracts of the documents maintained by him on an application made by a beneficiary, on payment of a prescribed fee.

7. **Appellate Authority :**

The State Governments shall appoint the Appellate Authority for the purposes of this order.

प्ररूप क

(नियम 8 देखिए)

उचित कीमत की दुकान के कार्यकरण की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

मास.............................. वर्ष..............................

क. राज्य का नाम .... राज्य कोड ....

ख. जिला का नाम .... जिला कोड ....

ग. ब्लाक का नाम .... ब्लाक कोड ....

घ. उचित कीमत की दुकान का संख्यांक........................ उचित कीमत की दुकान कोड........................

ड. उचित कीमत की दुकान से संलग्न राशन कार्डों की संख्याः ....

अंत्योदय :

गरीबी रेखा से नीचे :

गरीबी रेखा से ऊपर :

अन्य :

कुल :

FORM A

(See clause 8)

PROFORMA FOR REPORTING THE FUNCTIONING OF FAIR PRICE SHOPS

MONTH:.. YEAR :...

A. Name of State:.. State Code :...

B. Name of the District:.. District Code :..

C. Name of the Block .... Block Code :..

D. Number/Name of the FPS .... FPS Code :..

E. No. of the Ration Cards attached to FPS :

Antyodaya :

BPL :

APL :

OTHERS :

TOTAL :

च.

(मात्रा क्विंटल में)

वस्तुएं	मास के आरंभ में आरंभिक स्टाक	मास के लिए आवंटन	उचित कीमत की दुकान द्वारा वस्तुतः प्राप्त मात्रा	कुल मात्रा (2+4)	वितरित मात्रा	अंतिम स्टाक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चावलः गरीबी रेखा से नीचे गरीबी रेखा से ऊपर अंत्योदय						
गेहूं : गरीबी रेखा से नीचे गरीबी रेखा से ऊपर अंत्योदय						
लेवी चीनी						
खाद्य तेल						
केरोसीन						

F.

(In quintals)

Commodities	Opening Stock at the beginning of the month	Allocation for the month	Qty. Actually Received by FPS	Total Qty. (2+4)	Quantity Distributed	Closing Stock
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
RICE :						
APL						
BPL						
Antyodaya						
WHEAT :						
APL						
BPL						
Antyodaya						
LEVY SUGAR						
EDIBLE OIL						
KEROSENE						

प्ररूप ख

(नियम 8 देखिए)

उचित कीमत की दुकान के कार्यकरण की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

मास........................ वर्ष ....

क. राज्य का नाम .... राज्य कोड ....

ख. जिला का नाम .... जिला कोड ....

ग. मास के अंत में जिले में उचित कीमत की दुकानों की कुल संख्या : ....

घ. उन उचित कीमत की दुकानों का ब्यौरा जो मास के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं प्राप्त करती हैं :

क्रम सं0	वस्तु	उचित कीमत की दुकानों की संख्या
1.	गेहूं	
2.	चावल	
3.	चीनी	
4.	खाद्य तेल	
5.	केरोसीन	

ड. राशन कार्डों की संख्या :

अंत्योदय :

गरीबी रेखा से नीचे :

गरीबी रेखा से ऊपर :

अन्य :

कुल :

(i) मास के आरंभ में राशन कार्डों की संख्या

(ii) मास के दौरान जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या

(iii) मास के दौरान निरस्त किए गए राशन कार्डों की संख्या

(iv) मास के अंत में राशन कार्डों की संख्या

FORM B

(See clause 8)

PROFORMA FOR REPORTING THE FUNCTIONING OF

FAIR PRICE SHOPS

AT DISTRICT LEVEL

MONTH: YEAR:

A. Name of State :........................ State Code: ....

B. Name of the District :....................District Code: ....

C. Total Number of Fair Price Shops in the District at the end of the Month : ....

D. Details regarding FPS which received the PDS commodities during the month :—

S. No.	Commodity	No. of FPS
1.	WHEAT	
2.	RICE	
3	SUGAR	
4.	EDIBLE OIL	
5.	KEROSENE	

E. No. of Ration Cards:

Antyodaya :

BPL :

APL :

OTHERS :

TOTAL :

(i) Number of Ration Cards at the beginning of the month

(ii) Number of Ration Cards issued during the month.

(iii) Number of Ration Cards cancelled during the month.

(iv) Number of Ration Cards at the close of the month

च. जिला प्राधिकारियों द्वारा आवंटन/वितरण

(मात्रा क्विंटल में)

वस्तु	आरंभिक स्टाक	कुल मासिक आवंटन	कुल स्टाक	उचित कीमत की दुकानों का आवंटन		उचित कीमत की दुकानों द्वारा माल उठाया जाना		वितरित मात्रा	मास के अंत में अंतिम स्टाक
				सं0	मात्रा	सं0	मात्रा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
चावल :									
गरीबी रेखा से ऊपर									
गरीबी रेखा से नीचे									
अंत्योदय									
गेहूं :									
गरीबी रेखा से ऊपर									
गरीबी रेखा से नीचे									
अंत्योदय									
लेवी चीनी									
खाद्य तेल									
केरोसीन									

F.Allocation/Distribution by the Distt. Authorities

(Qty. in quintals)

Commodity	Opening Stock	Total Monthly Allo-cation	Total Stock	Allocation to FPS		Lifting by FPS		Qty Distributed	Closing Stock at end of the month
				No.	Qty.	No.	Qty.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RICE : APL BPL Antyodaya									
WHEAT : APL BPL Antyodaya									
LEVY SUGAR									
EDIBLE OIL									
KEROSENE									

छः उचित कीमत की दुकानों द्वारा किया गया आवंटन/वितरण

(मात्रा क्विंटल में)

कोड	वस्तु	उचित कीमत की दुकानों का आरंभिक स्टाक	उचित कीमत की दुकानों को आवंटित मात्रा	उचित कीमत की दुकान द्वारा प्राप्त मात्रा	उचित कीमत की दुकान के पास कुल मात्रा	उचित कीमत की दुकानों द्वारा वितरित मात्रा	उचित कीमत की दुकानों का अंतिम स्टाक
	चावल :						
	गरीबी रेखा से ऊपर						
	गरीबी रेखा से नीचे						
	अंत्योदय						
	गेहूं :						
	गरीबी रेखा से ऊपर						
	गरीबी रेखा से नीचे						
	अंत्योदय						
	लेवी चीनी						
	खाद्य तेल						
	केरोसीन						

G. Allocation/Distribution by the FPS.

(Qty. in quintals)

Code	Commodity	Opening Stock with FPS	Quantity Allocated to FPS	Quantity Received by the FPS	Total Qty. with FPS	Quantity Distributed by the FPS	Closing Stock with the FPS
	RICE :						
	APL						
	BPL						
	Antyodaya						
	WHEAT :						
	APL						
	BPL						
	Antyodaya						
	LEVY SUGAR						
	EDIBLE OIL						
	KEROSENE						

प्ररूप ग

(नियम 8 देखिए)

राज्य स्तर पर उचित कीमत की दुकान के कार्यकरण की रिपोर्ट का प्रोफार्मा

मास ....   वर्ष ....

क. राज्य का नाम ....   राज्य कोड ....

ख. राशन कार्डों की संख्या :

अंत्योदय :

गरीबी रेखा से ऊपर :

गरीबी रेखा से नीचे :

अन्य :

कुल :

(i) मास के आरंभ में राशन कार्डों की संख्या

(ii) मास के दौरान जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या

(iii) मास के दौरान निरस्त किए गए राशन कार्डों की संख्या

(iv) मास के अंत में राशन कार्डों की संख्या

ग. मास के अंत में जिले में उचित कीमत की दुकानों की कुल संख्या :

घ. उन उचित कीमत की दुकानों का ब्यौरा जो मास के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुएं प्राप्त करती हैं

क्रम सं0	वस्तु	उचित कीमत की दुकानों की संख्या
1.	गेहूं	
2.	चावल	
3.	चीनी	
4.	खाद्य तेल	
5.	केरोसीन	

FORM C

(See clause 8)

PROFORMA FOR REPORTING THE FUNCTIONING OF FAIR PRICE SHOPS AT STATE LEVEL

MONTH : YEAR :

A. Name of State: .... State Code

B. No. of Ration Cards

Antyodaya

APL
BPL
OTHERS

TOTAL

(i) Number of Ration Cards at the beginning of the month

(ii) Number of Ration Cards issued during the month

(iii) Number of Ration Cards cancelled during the month.

(iv) Number of Ration Cards at the end of the month

C. Total No. of Fair Price Shops at the end of the month

D. Details of FPS which received the PDS Commodities during the month :

S. No.	Commodity	No. of FPS
1.	WHEAT	
2.	RICE	
3	SUGAR	
4.	EDIBLE OIL	
5.	KEROSENE	

ड. राज्य सरकार द्वारा आवंटन/वितरण

(मात्रा क्विंटल में)

वस्तु	मास के आरंभ में आरंभिक स्टाक	कुल मासिक आवंटन	विकेन्द्रीकृत उपाप्त स्कीम के अधीन उपाप्त मात्रा	कुल स्टाक	जिलों को जारी की गई मात्रा		जिलों द्वारा उठाई मात्रा		वितरित मात्रा	मास के अंत में अंतिम स्टाक
					सं0	मात्रा	सं0	मात्रा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
चावल :										
गरीबी रेखा से ऊपर										
गरीबी रेखा से नीचे										
अंत्योदय										
गेहूं :										
गरीबी रेखा से ऊपर										
गरीबी रेखा से नीचे										
अंत्योदय										
लेवी चीनी										
खाद्य तेल										
केरोसीन										

E. Allocation/Distribution by the State Govt.

(Qty. in quintals)

Commo dity	Opening Stock at the beginn-ing of the month	Total monthly Allo-cation	Qty. Pro-cured under De-centralized Procurement Scheme	Total Stock	Quantity issued to Districts		Quantity lifted by the Districts		Qty Distri-buted	Closing Stock at end of the month
					No.	Qty.	No.	Qty.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RICE:										
APL										
BPL										
Antyodaya										
WHEAT:										
APL										
BPL										
Antyodaya										
LEVY SUGAR										
EDIBLE OIL										
KEROSENE										

चः उचित कीमत की दुकानों द्वारा किया गया आवंटन/वितरण

(मात्रा क्विंटल में)

कोड	वस्तु	उचित कीमत की दुकानों का आरंभिक स्टाक	उचित कीमत की दुकानों को आवंटित मात्रा	उचित कीमत की दुकान द्वारा प्राप्त मात्रा	उचित कीमत की दुकान के पास कुल मात्रा	उचित कीमत की दुकानों द्वारा वितरित मात्रा	उचित कीमत की दुकानों का अंतिम स्टाक
	चावल : गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे अंत्योदय गेहूं : गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी रेखा से नीचे अंत्योदय						
	लेवी चीनी						
	खाद्य तेल						
	केरोसीन						